

राजस्थान में खदान ब्लॉकों की नीलामी

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने राज्य में छोटे और बड़े ब्लॉकों की नीलामी के लिये परसीमन कार्य में तेज़ी लाने का नरिणय लया है ।

मुख्य बढु:

- **अवैध खनन गतवधधियों** से नपडने के लय सरकार कई खनन स्थलों को तैयार करने और बेचने पर धयान केंद्रत करेगी ।
- खनजि अन्वेषण के लय डरलगि और रपौरट के वश्लेषण से मूलयवान खनजिों के अवैध खनन से नपडने में सहायता मलगी, जससे **राज्य में राजस्व एवं रोजगार के अवसर बढेंगे** ।
- सरकार ने अधकारियों से खनजि वधग के कार्यालयों और कषेत्रों में **जल संचयन प्रणाली** वकिसत करने को कहा है ।
 - इसके अतरकित, अधकारियों को वधग के कार्यालयों में ई-फाइलगि प्रणाली का कुशल संचालन सुनश्चित करने और प्रसंस्करण समय को कम करने का नरिदेश दया गया ।
- **राजस्थान 57 से अधक वधिन खनजिों का उत्पादन करने वाले देश में खनजिों की उपलब्धता और वधधता के मामले में सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है** । खान वधग ने वर्ष 2023-2024 के दौरान 7,490 करोड रुपए से अधक का राजस्व अरजत कया ।
- खान वधग ने अन्वेषण, डरलगि, नीलामी के लय ब्लॉक एवं भूखंड तैयार करने, नीलामी कैलेंडर बनाने और राजस्व संग्रह के लय रोड मैप तैयार करके दैनक नगरानी सुनश्चित करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की है ।

अवैध खनन

- अवैध खनन भूमया जल नकियों से आवश्यक परमटि, लाइसेंस या सरकारी प्राधकरणों से नयामक अनुमोदन के बना खनजिों, अयस्कों या अन्य मूलयवान संसाधनों का नषिकरण है ।
- इसमें पर्यावरण, श्रम और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है ।
- **भारत में खनन से संबंधत कानून:**
 - भारत के संवधान की सूची-II (राज्य सूची) की क्रम संख्या 23 की प्रवषिट राज्य सरकार को अपनी सीमाओं के अंदर स्थत खनजिों के स्वामतित्व के लय बाध्य करती है ।
 - सूची-I (केंद्रीय सूची) की क्रम संख्या 54 पर प्रवषिट केंद्र सरकार को भारत के विशेष आर्थक कषेत्र (EEZ) के अंदर खनजिों के मालक होने का अधकार देती है ।
 - इसके अनुसरण में **खान और खनजि (वकिस तथा वनयिमन) (MMDR) अधनयिम 1957** बनाया गया था ।
 - लघु खनजिों से संबंधत नीत और कानून बनाने की शक्त पूरी तरह से राज्य सरकारों को सौपी गई है, जबक प्रमुख खनजिों से संबंधत नीत एवं कानून केंद्र सरकार के तहत खान मंत्रालय द्वारा नपटाए जाते हैं ।